जन शक्ति प्रबंधन के लिए जांच सूची

साधारण निर्वाचन 2014

घोषणापूर्व क्रियाकलाप

क्र.सं.	धारा/नियम	आरओएचबी का पैरा	क्रियाकलाप	उत्तरदायी अधिकारी
1	लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 159	3.2	प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी, विश्वविद्यालय, सरकारी कंपनी, किसी अन्य संस्था से रिटर्निंग ऑफिसर को स्टाफ उपलब्ध करवाने का अनुरोध करना।	सीईओ
2		3.4	उचित मिश्रण सुनिश्चित करने के लिए कार्मिकों की आवश्यक संख्या में उपलब्धता के आकलन- डाटाबेस तैयार करने में पहले से विचार करना तथा नियोजन।	डीईओ
3		3.5	अधिकारियों के डाटाबेस में विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र संख्या तथा नाम, भाग और निर्वाचन नामावली में क्रम संख्या, आवासीय पता, कार्यालय पते आदि जानकारी होनी चाहिए- प्रायोजक प्राधिकारी डीईओ/आरओ से नियुक्ति पत्र तथा अन्य पत्रों की आपूर्ति सुनिश्चित करेंगे- सभी प्रायोजक प्राधिकारी इस प्रयोजन के लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्त करेंगे।	डीईओ यह सुनिश्चित करेगा कि प्रायोजक प्राधिकारी अपनी भूमिका तद्नुसार निभाएं।
4		3.8	पीठासीन अधिकारियों और पोलिंग अधिकारियों का वर्गीकरण वेतनमान तथा उनके पद एवं रैंक के आधार पर किया जाएगा।	डीईओ
5		3.19(ख)	इस प्रयोजन के लिए मानकीकृत सॉफ्टवेयर उपलब्ध कराया जाएगा।	सीईओ
6		3.38(2)	विभिन्न विभागों/कार्यालयों से माइक्रो आब्जर्वर की नियुक्ति को सुगम बनाने के लिए नोडल अधिकारी चिह्नित करना।	डीईओ
		3.38(3)	माइक्रो आब्जर्वर के लिए उचित मानदेय निर्धारित करना।	सीईओ
		3.38(5)	सेक्टर/जोनल मजिस्ट्रेट के रूप में पर्याप्त संख्या में अधिकारी नियुक्त करना।	डीईओ/आरओ
		(क)	सेक्टर अधिकारियों के कार्य की निगरानी के लिए उनके साथ आवधिक समीक्षा बैठकें (साप्ताहिक) आयोजित करना।	डीईओ/आरओ/ आब्जर्वर
		(ख)	कार्य योजना तैयार करना और सेक्टर ऑफिसर को सौंपना।	डीईओ/आरओ
		(ग)	मतदान केन्द्र के साथ संपर्क के संबंध में सेक्टर अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर संचार योजना तैयार करना।	डीईओ/आरओ
		(घ)	सेक्टर ऑफिसर को निर्वाचक नामावली, हेल्पलाइन, आत्मविश्वास बढ़ाने के उपायों, संवेदनशीलता मानचित्रण, एसएमएस निगरानी, जोनल मजिस्ट्रेट योजना तैयार करने, पूरे दिन की जिम्मेदारियों आदि संबंधी क्रियाकलापों का प्रशिक्षण देना।	डीईओ/आरओ
7		3.46	जिला निर्वाचन प्रबंधन योजना में कार्मिक कल्याण के लिए सभी उपायों का ब्यौरा देते हुए स्टाफ कल्याण के संबंध में एक अलग अध्याय सुनिश्चित करना।	डीईओ
8		3.47	निर्वाचन कार्मिकों के कल्याण के लिए किए जाने वाले क्रियाकलापों में समन्वय एवं पर्यवेक्षण के लिए नोडल अधिकारी के रूप में एक वरिष्ठ अधिकारी को चिह्नित करना। इस प्रयोजन से आरओ के पास भी नोडल अधिकारी होने	डीईओ/आरओ

			चाहिए।	
9		3.54	निर्वाचन कार्मिक को ड्यूटी पर चोट लगने अथवा मृत्यु के मामले में अनुग्रहपूर्वक/अनुकंपा भुगतान के लिए तंत्र बनाना।	सीईओ
10		3.55(1)	भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों, कानूनों तथा नियमों के आधार पर प्रमुख अधिकारियों के कर्तव्यों तथा जिम्मेदारियों की एक जांच सूची तैयार करना।	डीजीपी/पुलिस मुख्यालय
			डीजीपी संबंधित पुलिस कार्मिकों को ईसीआई के निर्देशों का संप्रेषण सुनिश्चित करने के लिए नोडल अधिकारी के रूप में वरिष्ठ अधिकारियों को चिह्नित करेंगे।	डीजीपी/पुलिस मुख्यालय
		3.55(2)	डीईओ/डीएम नवीनतम ईसीआई निर्देशों के मूल्यांकन के लिए एसपी के साथ बैठक करेंगे। एमसीसी को लागू करना जिला निर्वाचन प्रशासन और पुलिस प्रशासन की संयुक्त जिम्मेदारी है। डीईओ/एसपी पिछले निर्वाचन में निर्वाचन संबंधी मामलों की स्थिति की समीक्षा करेंगे और अनुवर्ती कार्रवाई करेंगे।	डीईओ/एसपी/ नोडल अधिकारी (एमसीसी)
		3.55(3)	पुलिस कार्मिकों के उचित प्रशिक्षण की पूर्व में आयोजना करना और विशेष रूप से संवेदनशील मतदान केन्द्रों को चिह्नित करने की प्रक्रिया तथा संवेदनशीलता मानचित्रण की संकल्पना को स्पष्ट करने के लिए प्रशिक्षण देना।	डीईओ/एसपी
11		3.56(1)	नोडल अधिकारियों की मानकीकृत जांच सूची, निर्वाचन कार्मिकों के लिए शिक्षण एवं प्रशिक्षण सामग्री तैयार करना; संबंधित अधिकारियों को हैंडबुक उपलब्ध करवाना, प्रमुख निर्वाचन कार्मिकों का कार्य प्रभार निर्धारित करना, निर्वाचन प्रबंधन आदि के लिए एफएक्यू तैयार करना आदि।	सीईओ
		3.56(2)	ईसीआई के सभी नए परिपत्र संबंधित निर्वाचन कार्मिकों को स्पष्ट करना, संबंधित कार्मिकों को एक साथ श्रेणीवार परिपत्र जारी करना (जैसे पुलिस कार्मिकों को जारी किए जाने वाले पुलिस से संबंधित सभी परिपत्र, एडिशनल कलेक्टर/आरओ/एआरओ/अन्य संबंधित अधिकारियों को जारी किए जाने वाले ईवीएम प्रबंधन संबंधी सभी परिपत्र), प्रमुख कार्मिकों का कार्य प्रभार निर्धारित करना तथा जांच सूची बनाना और निर्वाचन प्रबंधन के सांविधिक पहलुओं संबंधी क्रियाकलापों हेतु सहयोग उपलब्ध कराना।	डीईओ
		3.56(3)	निर्वाचन कार्मिकों के प्रशिक्षण की तारीख तथा स्थान पूर्व में तय करना, निर्वाचन कार्मिकों के लिए प्रशिक्षण सामग्री की समीक्षा करना।	डीईओ
12			ईसीआई के आदेश द्वारा स्थानांतरित कर्तव्य त्याग करने के मामले में आरोपित अधिकारियों के नाम दर्शाने वाले दिनांक 23.12.2008 के ईसीआई निर्देश।	सीईओ/ डीईओ
13			अधिकारियों के स्थानांतरण/पदस्थापन के संबंध में ईसीआई के दिनांक 14.12.2010 और 01.12.2011 के निर्देश।	सीईओ

घोषणा के बाद के क्रियाकलाप

क्र.सं.	धारा/नियम	आरओएचबी का	क्रियाकलाप	उत्तरदायी अधिकारी

		पैरा		
1	आरपी अधिनियम, 1951 की धारा 26	3.1	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए मतदान केन्द्रों हेतु पीठासीन अधिकारियों और निर्वाचन अधिकारियों की नियुक्ति	डीईओ
2	आरपी अधिनियम, 1951 की धारा 26 आरपी अधिनियम, 1951 की धारा 134 (कलकत्ता उच्च न्यायालय का निर्णय, 1971	3.3	आरपी अधिनियम, 1951 की धारा 26 के तहत मतदान कार्मिकों की नियुक्ति की और नियुक्ति के लिए ड्यूटी ज्वाइन करने से मना करने पर आरपी अधिनियम, 1951 की धारा 134 के अंतर्गत मुकदमा चलाने की एकतरफा शक्ति प्रदान की गई है।	डीईओ
3		3.6	यह सुनिश्चित करना कि पीठासीन अधिकारी और प्रथम पोलिंग अधिकारी उस क्षेत्र के स्थानीय प्राधिकरणों के कर्मचारी नहीं होने चाहिए जहां मतदान केन्द्र स्थित है।	डीईओ
4		3.9	मतदान केन्द्रों में महिला कार्मिकों की नियुक्ति केवल महिला मतदाताओं के लिए होनी चाहिए।	डीईओ
5		3.11	रात को रूकने के संबंध में महिला कार्मिकों को पूर्व में सूचित किया जाना चाहिए और निर्वाचन ड्यूटी के लिए ठहरने की अलग से व्यवस्था करने हेतु प्रारूप तैयार किया जा रही है।	डीईओ
6		3.19(क)	125 प्रतिशत डाटाबेस से मतदान कार्मिकों की अपेक्षित संख्या की यादृच्छिक सूची बनाना-आब्जर्वर की उपस्थिति आवश्यक नहीं है।	डीईओ
7		3.27	पुलिस प्राधिकारियों के परामर्श से पुलिस पार्टियों में कार्मिकों की नियुक्ति का ब्यौरा सुनिश्चित करना।	डीईओ/आरओ
8		3.28(क)	पोलिंग पार्टियों के आने जाने के लिए वाहनों की मांग भेजना, डिस्पैच सेंटर से मतदान बूथ तक और वापस प्राप्ति केन्द्र तक वाहन आवागमन योजना तैयार करना।	डीईओ/आरओ
9		3.33	पोस्टल बैलेट के लिए आवेदन करने हेतु मतदान कार्मिकों के उपयोग के लिए नियुक्ति आदेश दो प्रतियों में जारी करना।	डीईओ/आरओ
10		3.34	नियुक्ति के आदेश पर आरओ/डीईओ की मोहर होनी चाहिए।	डीईओ/आरओ
11		3.35	नियुक्ति पत्र के साथ स्थानों/सुविधाओं की सूची दी जाए जहां पोलिंग स्टाफ द्वारा निर्वाचक नामावली में नाम खोजा जा सके।	डीईओ/आरओ
12		3.38(1)	इस पैराग्राफ में दी गई कार्मिकों की श्रेणियों में से माइक्रों आब्जर्वर नियुक्त करना।	डीईओ

		3.38(4)	केन्द्र सरकार अथवा केन्द्र सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के कर्मचारियों में से माइक्रो आब्जर्वर नियुक्त करना।	डीईओ/आरओ
		(घ)	मतदान केन्द्र पर सेक्टर आफिसर के माध्यम से ईवीएम प्रदर्शित करने की व्यवस्था करना।	डीईओ/आरओ
		3.38(1.1)(8)	सभी एसओ और आरओ को निर्वाचन की अधिसूचना से कम से कम एक सप्ताह पहले वाहन उपलब्ध कराना।	
13		3.39 दिनांक 12.10.2007 के निर्देश	निर्वाचन कार्मिकों को फोटो पहचान पत्र जारी करना।	डीईओ/आरओ
14		3.40	प्रशिक्षण के पहले दौर में निर्वाचन कार्मिकों के फोटो प्राप्त करना और यह सुनिश्चित करना कि निर्वाचन के दूसरे दौर में फोटो पहचान पत्र जारी किए जाएं।	आरओ
15		3.41	निर्वाचन कार्मिकों से पहचान पत्र के लिए प्रशिक्षण के पहले दौर में उनके स्वयं के फोटो लाने के लिए लिखित में अनुरोध करना।	आरओ
16		3.43 (कृपया आरओएचडी के पैरा 3.43 और 3.44 पर नमूना देखें)	निर्वाचन कार्मिकों के फोटो पहचान पत्र तैयार करने के लिए एक समान पद्धति सुनिश्चित करना।	सीईओ
17		3.48	पोलिंग स्टाफ के प्रशिक्षण स्थल का सावधानीपूर्वक चयन किया जाए जहां मूलभूत सुविधाओं, पोलिंग कर्मचारियों के लिए हेल्पडेस्क, डिस्पैच स्थल तथा प्राप्ति केन्द्र पर उचित संकेतों आदि के साथ पानी, शौचालय की सुविधा हो।	आरओ/नोडल अधिकारी (कल्याण)
18		3.55(4)	धन, शक्ति तथा निर्वाचन व्यय के दुरूपयोग संबंधी कदाचार के मामलों की निगरानी के लिए फील्ड स्तर की निर्वाचन मशीनरी और पुलिस प्रशासन एक टीम के रूप में कार्य करेंगे।	डीईओ/एसपी/ आरओ/एसडीपीओ
		3.55(5)	ईसीआई के दिनांक 7.10.2008 के सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान संबंधी निर्देश।	डीईओ/डीएम/ आरओ/एसपी
		3.55(6)	नामांकन अवधि के दौरान आरओ भवन को स्वच्छ रखने के लिए और यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रत्याशी के साथ केवल चार अन्य व्यक्ति हों, एसपी द्वारा नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाए (ईसीआई के दिनांक 9.2.2007 के निर्देश)।	एसपी
		3.55(7)	ऐसी प्रचार सामाग्री के प्रसार के संबंध में पुलिस द्वारा सख्त निगरानी की जाए जिससे सांप्रदायिक सौहार्द प्रभावित हो सकता हो।	एसपी
		3.55(8)	पुलिस कार्मिकों, सीपीएफ आदि का मतदान दिवस पर कर्तव्यों तथा जिम्मेदारियों के संबंध में उन्मुखीकरण।	एसपी/आरडीईओ

		3.55(9)	सीपीएफ की भूमिका और इसकी तुलना में राज्य पुलिस और अन्य पुलिस बल की भूमिका के संबंध में उचित उन्मुखीकरण किया जाए।	एसपी और डीएम संयुक्त रूप से
		3.55(10)	निर्वाचन प्रशासन के प्रमुख कार्मिकों- सिविल तथा पुलिस दोनों की राज्य स्तर तथा जिला स्तर पर अलग-अलग डायरेक्ट्री बनाना।	सीईओ/ डीईओ
19		3.56(3)	पोस्टल बैलेट सुविधा केंद्र के प्रचालन के लिए 50 कार्मिकों तक के छोटे समूहों में प्रशिक्शन आयोजित करना।	आरओ/एआरओ
		3.56(4)	यह सुनिश्चित करना कि निर्वाचन के दौरान ईसीआई द्वारा जारी सामान्य निर्देश प्रिंट किए जाएं/जेरोक्स किए जाएं और संबंधित निर्वाचन कार्मिकों को परिचालित किए जाएं।	डीईओ
		3.56(5)	प्रायोजक आरओ/एआरओ अथवा प्राप्ति आरओ/एआरओ द्वारादिए जाने वाले प्रशिक्षण के संबंध में जिम्मेदारीस्पष्ट रूप से बताई जाए। आब्जर्वर प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेंगे। सीईओ जिलों द्वारा अपनाई जाने वाली प्रणाली की निगरानी करेंगे।	सीईओ/ डीईओ/आब्जर्वर
		3.56(6)	प्रशिक्षण स्थल पर उचित संभार-तंत्र व्यवस्था सुनिश्चित की जाए और डीईओ द्वारा व्यक्तिगत रूप से पर्यवेक्षण किया जाए।	डीईओ
		3.56(7)	अंतिम क्षणों में निर्वाचन कार्मिकों की सभी शंकाएं दूर करने और व्यावहारिक प्रशिक्षण के लिए डिस्पैच केंद्र पर एक प्रशिक्षण काउंटर बनाना।	डीईओ/आरओ

छूटप्राप्त श्रेणियां और सावधानियां

क्र.सं.	धारा/नियम	आरओएचबी का पैरा	क्रियाकलाप	उत्तरदायी अधिकारी
1	आरपी अधिनियम, 1951 की धारा /	3.3 (क) से (ड.)	निर्वाचन ड्यूटी के लिए ड्राफ्टिंग से छूट प्राप्त श्रेणियों का सावधानीपूर्वक अध्ययन किया जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि वे मानव शक्ति डाटाबेस का हिस्सा न हों।	डीईओ
2		3.7	राजस्व एकत्रित करने के लिए उत्तरदायी राजस्व विभाग (केन्द्र और राज्य) के कर्मचारियों की नियुक्ति संबंधित विभाग के साथ परामर्श से ही की जाए। इसी प्रकार अतिरिक्त विभाग पोस्टमास्टर के रूप में कार्य कर रहे स्कूली अध्यापकों को पोलिंग ड्यूटी पर न लगाया जाए।	डीईओ
3		3.10	गर्भावस्था के आगे के चरण में महिलाओं और छोटे बच्चों को दूध पिलाने वाली महिलाओं को छूट।	डीईओ
4		3.12	निर्वाचन कार्य के लिए न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति के संबंध में	डीईओ
5		3.13	निर्वाचन कार्य के लिए नि:शक्त व्यक्तियों की नियुक्ति के संबंध में।	डीईओ
6		3.14	यथा संभव यह सुनिश्चित करना कि पीठासीन अधिकारी एक	डीईओ

			राजपत्रित अधिकारी हो अथवा एक पर्यवेक्षण क्षमता में कार्य कर रहा हो।	
7		3.16	पोलिंग पार्टियां बनाते समय विभिन्न कार्यालयों तथा विभागों से पोलिंग कार्मिकों का उचित मिश्रण सुनिश्चित करना।	डीईओ
8		3.17	यह सुनिश्चित करना कि किसी व्यक्ति को उस विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में पोलिंग ड्यूटी न दी जाए जहां वह नियुक्त है अथवा निवास करता है।	डीईओ
9		3.18	यह सुनिश्चित करना कि मानव शक्ति डाटाबेस में निर्वाचन कार्मिकों की कुल अनुमानित आवश्यकता के 125 प्रतिशत व्यक्ति शामिल हों।	डीईओ
10		3.25	पोलिंग पार्टियों के संबंध में इस निर्देश के अनुसार कार्मिकों की संख्या सुनिश्चित करना।	डीईओ
11		3.26	मतदान केन्द्रों पर नियुक्त किए जाने के लिए अधिकारियों की संदर्भ सूची रखना।	डीईओ
12		3.28(ख)	निर्वाचन प्रयोजन की आवश्यकता के लिए कुछ विभागों से कुछ वाहनों को छूट देना।	डीईओ/आरओ

अधिसूचना के बाद

क्र.सं.	धारा/नियम	आरओएचबी का पैरा	क्रियाकलाप	उत्तरदायी अधिकारी
1		3.20	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए निर्धारित की जाने वाली वास्तविक यादृच्छिक पोलिंग पार्टियां तैयार करने के लिए दूसरा चरण आयोजित करना- आब्जर्वर की उपस्थिति आवश्यक है।	डीईओ
2		3.21(क)	निर्वाचन की तारीख से 12 दिन पहले तक पोलिंग पार्टियों को यादृच्छिक बनाने का दूसरा चरण पूरा कर लिया जाए।	डीईओ/आरओ
		3.21(ख)	पोलिंग कार्मिकों को दूसरा प्रशिक्षण निर्वाचन क्षेत्र के आरओ की उपस्थिति में दिया जाए।	डीईओ/आरओ
3		3.22	पोलिंग पार्टियों को भेजने से एक दिन पहले यादृच्छिक करने का तीसरा चरण आयोजित किया जाए। आब्जर्वर की उपस्थिति अनिवार्य है।	डीईओ
4		3.23	ऊपर 3.22 की अनुपालना के संबंध में डीईओ द्वारा आब्जर्वर के माध्यम से ईसीआई और सीईओ को प्रमाणपत्र दिए जाएं।	डीईओ
5		3.24	रिपोर्ट में यादृच्छिकरण बनाने की प्रक्रिया के प्रेक्षण के संबंध में विशेष उल्लेख करना।	सामान्य आब्जर्वर
6		3.29	पोलिंग कार्मिकों के लिए स्थान, खाने, जल, शौचालय सुविधाओं और मतदाताओं के लिए शेल्टर, रैंप आदि की उचित व्यवस्था सुनिश्चित करना।	डीईओ/आरओ
7		3.30	पीठासीन अधिकारी और पोलिंग आफिसर की नियुक्ति आरओएचबी के अनुबंध-VII में दिए गए प्रारूप में की जाए।	डीईओ/आरओ
8		3.31	पोलिंग पार्टियों को निर्वाचन से एक दिन पहले प्रस्थान के समय उनके मतदान केन्द्र की सूचना दी जाए।	डीईओ

9	निर्वाचन संचालन नियम, 1961 का नियम 20(2)	3.32	फार्म 12ए में आवेदन/ईडीसी निर्वाचन से कम से कम चार दिन पहले आरओ को पहुंच जाने चाहिए।	आरओ
10		3.37	निर्वाचन से कम से कम 2 से 3 दिन पहले नोटिस बोर्ड पर निर्वाचन क्षेत्रवार निर्वाचन कार्मिकों की सूची प्रदर्शित की जाए। यह सूची राजनैतिक पार्टियों/प्रत्याशियों को न दी जाए।	डीईओ/आरओ
11		3.49	निर्वाचन कार्मिकों और सुरक्षा बलों के आने जाने की आयोजना पूर्व में की जाए और इसकी गहन निगरानी रखी जाए।	डीईओ/आरओ/ नोडल अधिकारी (परिवहन) पुलिस प्राधिकारी
12		3.50	मतदान केन्द्रों पर आवश्यकतानुसार पूर्व में फर्नीचर आदि का प्रावधान सुनिश्चित करना।	डीईओ/आरओ
13		3.51	निर्वाचन कार्मिकों के लिए खाने की व्यवस्था सुनिश्चित करना।	डीईओ/आरओ/ सेक्टर आफिसर
14		3.52	डिस्पैच/प्राप्ति केन्द्रों पर स्वास्थ्य सेवा/प्राथमिक उपचार संबंधी सहायता उपलब्ध कराने के लिए अलग से व्यवस्था करना।	डीईओ/आरओ/ नोडल अधिकारी (कल्याण)
15		3.53	रिसेप्शन सेंटर की व्यवस्थाएं	डीईओ/आरओ/ नोडल अधिकारी (कल्याण)

निर्वाचन दिवस के क्रियाकलाप

क्र.सं.	धारा/नियम	आरओएचबी का पैरा	क्रियाकलाप	उत्तरदायी अधिकारी
1		3.15	पीठासीन अधिकारी की अपरिहार्य अनुपस्थिति के मामले में की जाने वाली कार्रवाई- रिजर्व से प्रतिस्थापन।	डीईओ/आरओ